पैड के लिए नोट

***98** श्री अमित सिहाग **(**डबवाली**):**

1. शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास ऑनलाइन पोर्टल (https://property.ulbharyana.gov.in) के माध्यम से 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC)' जारी करने के लिए एक सिस्टम है जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वेब-हैलरिस पोर्टल के साथ विधिवत एकीकृत है।

2. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र सं. 8630-एसटीआर-1-2020/4541 दिनांक 21.07.2020 द्वारा पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 के 1908) के तहत स्थानांतरण विलेखों के पंजीकरण को रोकने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

3. शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने यह भी देखा कि अवैध कॉलोनियां तेजी से बढ़ रही हैं और पालिकाओं को संपत्ति कर, विकास प्रभार और अन्य "शुल्क/प्रभार संग्रह करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में धारा 96क और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में धारा 99क को दिनांक 22.03.2021

को शामिल किया है। इसका प्रासंगिक भाग नीचे पुनरूप प्रस्तुत किया गया है :

- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994:

*"96*क कतिपय दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करना.- नगरपालिका क्षेत्र में स्थित किन्हीं भूमियों या भवनों का किसी रीति में विक्रय, अन्तरण, पट्टा, उपहार या अन्यसंक्रामण के संबंध में कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, *1908 (1908* का केन्द्रीय अधिनियम *16)* की धारा *17* के अधीन पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उक्त दस्तावेज आयुक्त द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाणपत्र के साथ न हो, जो तीन मास की अवधि के लिए या ऐसी अन्य समयावधि, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, यह प्रमाणित करते हुए कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, उप-विधियों या विनियमों के अधीन भुगतानयोग्य या वसूलीयोग्य, दस्तावेज में यथा वर्णित ऐसी भूमियों तथा/या भवनों के सम्बंध में किरायों, करों, उपकरों, प्रभारों, फीसों, जुर्मानों तथा शास्तियों सहित सभी नगरपालिका देयों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए वैध रहेगा*:*

परन्तु सरकार आदेश द्वारा ऐसी भूमियों, या भवनों जो अधिनियम की धारा *3* के अधीन जारी की गई अधिसूचना के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में प्रथम बार या नए सिरे से

आए हैं, को, ऐसी अवधि, जो सरकार उचित समझे, के लिए इस धारा की अपेक्षाओं से पूर्णत: या भागत: छूट दे सकती है।

- *हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973:*

"96क कतिपय दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी करना.-नगरपालिका क्षेत्र, में स्थित किन्हीं भूमियों या भवनों का किसी रीति में विक्रय, अन्तरण, पट्टा, उपहार या अन्यसंक्रमण के संबंध में कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, *1908 (1908* का केन्द्रीय अधिनियम *16)* की धारा *17* के अधीन पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उक्त दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाण-पत्र के साथ न हो, जो तीन मास की अवधि के लिए या ऐसी अन्य समयावधि, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यह प्रमाणित करते हुए कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, उप विधियों या विनियमों के अधीन भुगतानयोग्य या वसूलीयोग्य, दस्तावेज में यथा वर्णित ऐसी भूमियों तथा/या भवनों के सम्बंध में किरायों, करों, उपकरों, प्रभारों, फीसों, जुर्मानों तथा शास्तियों सहित सभी नगरपालिका देयों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए वैध रहेगा:

परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसी भूमियों, या भवनों जो

अधिनियम की धारा *3* तथा *4* के अधीन जारी की गई

अधिसूचना के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में प्रथम बार या नए सिरे से आए हैं, को, ऐसी अवधि, जो राज्य सरकार उचित समझे, के लिए इस धारा की अपेक्षाओं से पूर्णत: या भागत: छूट दे सकती है।"

5. शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास ऑनलाइन पोर्टल (https://property.ulbharyana.gov.in) के माध्यम से 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट **(NDC)'** जारी करने के लिए एक प्रणाली है, जो कि राजस्व विभाग के वेब-हेलरिस पोर्टल के साथ विधिवत रूप से एकीकृत है। नागरिक इंटरफ़ेस के प्रावधान के साथ निर्बाध तंत्र जिसके आधार पर नागरिक किसी संपत्ति के किसी भी पंजीकरण के निष्पादन से पहले संपत्ति कर, अग्नि कर, विकास शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क आदि जैसे पालिका बकाया को अदा कर सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगस्त, 2020 में नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) पोर्टल लॉन्च किया गया था। पोर्टल की संक्षिप्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

क) नागरिक बकाया राशि का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।

ख) पालिका कार्यालय में आए बिना सीधे पोर्टल से ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र को प्राप्त कर सकते हैं।

ग) नागरिक अपनी संपत्तियों को स्व-प्रमाणित कर सकते हैं और संपत्ति के विवरण, देय राशि या संपत्ति की स्थिति (स्वीकृत/अस्वीकृत) में किसी भी सुधार के लिए ऑनलाइन आपत्ति उठा सकते हैं।

घ) पालिकाएं सभी आपत्तियों को केवल नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित करती हैं।

ड़) नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर नई संपत्ति आई0डी0 के निर्माण का अनुरोध करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र भी प्रदान किया गया हैं।

च) संपत्ति कर बकाया भुगतान और नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रबंधन प्रणाली पर सभी प्रक्रियाओं के लिए सहायता मैनुअल नागरिकों के संदर्भ के लिए पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

6. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1 अप्रैल, 2023 से 15 फरवरी, 2024 तक जारी हुऐ नो ड्यूज प्रमाण पत्रों की कुल संख्या 4,19,097 है।

7. पोर्टल के लिए, संपत्ति कर, अग्नि कर, विकास शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क, प्राधिकरण के क्षेत्र (यानी, टी0सी0पी0डी, एच0एस0आई0आई0डी0सी, "शेहरी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, आदि) जैसे सभी नगरपालिका बकाया के साथ संपत्तियों का डेटा, की स्थिति, संपत्तियां (स्वीकृत/अस्वीकृत), संपत्ति श्रेणी (आवासीय/ वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थागत आदि) संबंधित पालिकाओं द्वारा

तैयार की गई थी और नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) पोर्टल पर अपलोड की गई थी।

8. विभाग का लक्ष्य ऑनलाइन तंत्र है जिससे नागरिक संपत्ति के विवरण या किसी बकाया राशि के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में कोई आपत्ति/दावा कर सकता है और संबंधित पालिका इसे ऑनलाइन हल करेगी जो पोर्टल पर स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी। एक बार जब नागरिक बकाया राशि का भुगतान ऑनलाइन करता है तो पोर्टल से नो ड्यूज सर्टिफिकेट स्वत: जारी हो जाता है। 1 अप्रैल, 2023 से 15 फरवरी, 2024 तक प्राप्त आपत्तियों व उनके निश्पादन की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	कुल आपत्तियाँ	संपत्तियों की संख्या जिन पर आपत्तियां प्राप्त हो चुकी हैं
नगर पालिकाओं को प्राप्त कुल आपत्तियाँ	13,21,745	5,44,925
कुल स्वीकृत	10,97,642	4,22,929
कुल अस्वीकृत	1,26,190	66,129
कुल लंबित	97,913	55,867
• नगर पालिकाओं के पास लंबित	16,129	8,785
• नागरिकों के पास लंबित	81,784	47,082

9. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों को जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म पर एकीकृत डिजिटल संपत्ति कर रिकॉर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। एकल एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी संपत्तियों के रिकॉर्ड को मैप करने की इस प्रक्रिया को संचालित करने वाला हरियाणा देश का एक राज्य है। भारत सरकार ने भी हरियाणा को 150.00 करोड़ रुपये की मंजूरी, राज्यों को विशेष सहायता योजना के लिए पूंजी निवेश 2023-24-पूंजीगत परियोजनाओं के भाग-IV के तहत प्रदान की है।

10. इसी तरह का एक प्रश्न दिसंबर, 2023 के विधानसभा सत्र के दौरान माननीय विधायक, नारायणगढ़ श्रीमती शैली चौधरी द्वारा पूछा गया था। प्रश्न और उत्तर का विवरण **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।